न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 50/2022
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/85

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

आई सी आई सी आई हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

बनाम

अप्रार्थी /रेसपोण्डेंट्स:–

1. श्री हिरा लाल निनामा पिता श्री दलिया निनामा (ऋणी)
   (अ) विद्यापाडा, कूपडा, विद्यापाडा प्राथमिक स्कूल के पास, प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ
   (ब) अबेंडकर चौराहा, पीपलोद पेट्रोल पंप बांसवाडा, जिला बांसवाडा
   (स) उपेश भाई कांतीलाल पटेल, हाई–टेक एलीवेटर, सी–1 दिवान चैम्बर, लोहा भवन के सामने, ओल्ड हाई नवरंगपुरा, अहमदाबाद
2. श्रीमती किरण निनामा पत्नि श्री हिरा लाल निनामा (सहऋणी)
   (अ) क्वाटर नं.– VL/188, माही कॉलोनी, माही धाम बांसवाडा, जिला बांसवाडा
   (ब) अबेंडकर चौराहा, पीपलोद पेट्रोल पंप बांसवाडा, जिला बांसवाडा

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 02–08–2023

प्राधिकृत अधिकारी, आई सी आई सी आई हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, ब्रान्च कार्यालय दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कंपनी द्वारा 1– श्री हिरा लाल निनामा पिता श्री दलिया निनामा (अ) विद्यापाडा, कूपडा, विद्यापाडा प्राथमिक स्कूल के पास, प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ, (ब) अबेंडकर चौराहा, पीपलोद पेट्रोल पंप बांसवाडा, जिला बांसवाडा, (स) उपेश भाई कांतीलाल पटेल, हाई–टेक एलीवेटर, सी–1 दिवान चैम्बर, लोहा भवन के सामने, ओल्ड हाई नवरंगपुरा, अहमदाबाद (ऋणी) 2– श्रीमती किरण निनामा पत्नि श्री हिरा लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:53:47 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

निनामा क्वाटर नं.– VL/188, माही कॉलोनी, माही धाम बांसवाडा, जिला बांसवाडा अबेंडकर चौराहा, पीपलोद पेट्रोल पंप बांसवाडा, जिला बांसवाडा (सहऋणी) को दिनांक **27–08–2020** को रु. **15,50,000** (खाता सं. **LHUDP00001336679**) एवं रु. **51017** (खाता सं. **LHUDP00001336788**) ऋण राशि स्वीकृत की थी।

अप्रार्थीगण ने ऋण लेने के पश्चात् नियमानुसार उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर अप्रार्थीगण का खाता दिनांक 04–05–2022 एवं 07.05.2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणो के खाते **दिनांक 20–04–2022 तक 15,85,354 +47343 कुल बकाया राशि 16,32697 रू.** एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया। रहन शुदा अचल सम्पत्ति का विवरण **श्रीमती किरण निनामा पत्नि हिरा लाल निनामा के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति प्लाट नंबर 50, ब्लॉक डी, जिसका क्षैत्रफल 1125 वर्गफीट है जो कि अंबेडकर चौराहा, पिपलोद पेट्रोल पंप के अंदर, बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है।** जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके **पूर्व में रोड, पश्चिम में खुला भूखण्ड, उत्तर में सडक एवं दक्षिण में प्लॉट नं. 51** है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त एवं कम्पनी मामलो के मन्त्रालय की अधिसूचना सं. एस 01282(ई) दिनांक 10.11.2003 के अनुसार **आई सी आई सी आई हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड,** मुम्बई को वित्तीय संस्था माना गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। साथ ही प्र[...] प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:53:47 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **27–04–2022** को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थीगणो को दिनांक **27–08–2020 को रु. 15,50,000 (खाता सं. LHUDP00001336679) एवं रु. 51017 (खाता सं. LHUDP00001336788)** रुपया ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दिनांक 02.12.2023 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय समय पर विधिवत नोटिस जारी किये गए। दिये गए पतो पर अप्रार्थीगण नही मिलने पर दिनांक 19.07.2023 को रहन रखी गई सम्पत्ति पर नोटिस बाद चस्पा होकर तहसीलदार बांसवाडा की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हुए, किन्तु अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। न्याय हित में अंतिम अवसर दिया जाकर आगामी पेशी दिनांक 02.08.2023 नियत की गई।

अप्रार्थीगण आज दिनांक 02.08.2023 को भी अनुपस्थित रहे। बार बार रुक रुक कर अप्रार्थीगणो को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने [illegible] प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की [illegible] नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:53:47 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 स्वीकार किया जाकर **तहसीलदार बांसवाडा** को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **आई सी आई सी आई हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह नियमानुसार पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक **02-08-2023** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:53:47 IST
Reason: SelfAttested